न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1382/2026

1 – गिरजा उम्र 50 वर्ष पत्नी खुनखुन निषाद

2– रूना उम्र 30 वर्ष पुत्री खुनखुन निषाद

निवासीगण ग्राम जंगल धूसड़ टोला हैदरगंज, थाना पिपराईच, जनपद गोरखपुर।

..........**आवेदिकागण/अभियुक्तागण**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....**विपक्षी**

मु०अ०सं०–736/2025

अंतर्गत धारा–351(3), 352 बी०एन०एस०

व धारा 3(2)(5)a, 3(1) द, ध SC/ST Act

थाना–पिपराईच, जनपद–गोरखपुर।

अन्तरिम जमानत आदेश

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

आवेदिकागण/अभियुक्तागण **गिरजा व रूना** के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी मुकदमा को नोटिस दिये जाने एवं जमानत प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रपत्रों की इस स्तर पर आवश्यकता है। अतः मूल जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के लिए समय प्रदान किया जाये। आवेदिकागण/अभियुक्तागण की ओर से नियमित जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण तक अंतरिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

आवेदिकागण/अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में सुनवाई हेतु वादी की अनुपस्थिति तथा अभियोजन प्रपत्रों की अनुपलब्धता में अंतरिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। आवेदिकागण/अभियुक्तागण **गिरजा व रूना** प्रत्येक द्वारा मु०– 50,000/–रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर उन्हें अंतरिम जमानत पर सत्यापन के अधीन रिहा किया जाये। आवेदिकागण/अभियुक्तागण दिनांक 18–04–2026 को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करें। पत्रावली नियमित जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई हेतु नियत तिथि को पेश हों।

धारा – 15(A)(5) Sc.St. Act. के अनुपालन में नियत तिथि के लिए वादी मुकदमा को कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किया जाये।

दिनांक 08–04–2026

(प्रवीण कुमार सिंह–द्वितीय)

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर

I.D. No.–UP6051

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR SINGH
Date: 2026.04.08 17:02:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court